न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

ील संख्याः– 11 / 2023 (225 आर.टी.एक्ट,

सी.एम.एस .संख्याः– 2022 / 39

उनवान

1. प्रहलाद पुत्र हजारी
2. रामसिंह पुत्र हजारी
3. भौती पत्नी हजारी

जातियान मीना निवासीयान बामनवास पट्टी कलां ए तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांटगण।

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र धर्मपाल जाति मीना निवासी बाभनवास पट्टी कलां तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

...रेस्पोडेन्टगण।

उपस्थितः–

1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री रिषीराम मीना अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः19.06.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड बामनवास जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23 / 2019 बउनवान बृजमोहन बनाम लैण्ड होल्डर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 2903 रकबा 1.09 है0 ग्राम बामनवास पट्टी कलां तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर मे स्थित है। मुख्य सड़क(रास्ते) से वादी अपनी उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी हाज खसरा नंबर 2905, 2902, 2897, 2894, 2895, 2893 2892 में होकर मौके पर बने करीब 12 फीट चौड़े रास्ते पर होकर हमेशा से आता

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जाता रहा है। जो वादी की आराजीयात मे कृषि कार्यो हेतु उपयोग किए जाने वाला निकटतम रास्ता है, लेकिन उक्त रास्ता सरकारी रेवेन्यू रिकार्ड दर्ज नही होने से प्रतिवादीगण वादी को रास्ते का उपयोग करने मे बाधा उत्पन्न करते है। अतः न्यायालय हाजा से अनुतोष चाहा गया कि उक्त रास्ते को सरकारी रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्ज करने व प्रतिवादीगण को नियमानुसार मुआवजा देने के बाबत् आदेश फरमाये जावें। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास ने उक्त प्रार्थना पत्र मे दिनांक 22.12.2022 को आदेश पारित किया कि **"आराजी हाल खसरा नंबर 2889 स्थित ग्राम बामनवास पट्टीकलां ए मे आने जाने हेतु मुताबिक संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शित भूमि 12 फीट चौड़े रास्ते को नक्शा ट्रेस व अन्य राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर तरमीम की जावे तथा अप्रार्थी संख्या 02 लगा0 04 की खातेदारी भूमि जो रास्ते के उपयोग मे ली जा रही है, उस भूमि की गणना मुताबिक डीएलसी रेट से की जाकर उसकी दुगुनी राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 02 व लगा0 04 को किया जावे।"** उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अपनी जवाबदेही मे स्पष्ट दर्ज किया कि खसरा नंबर 2889 में जाने के लिए रेस्पोडेन्ट के पास खसरा नंबर 2916, 2915, 2914, 2913, 2812 में होकर रास्ता है तथा मौके पर आज भी रास्ता है लेकिन अदालत मातहत ने जवाबदेही के बावजूद अपीलांटस् द्वारा बताये गये खसरा नंबरान मे रास्ता है या नही देखने या रिपोर्ट मंगाने तक का प्रयास नहीं किया जबकि दोनो पक्षो की प्लीडिंग के मुताबिक मौका देखकर रिपोर्ट मंगानी व बनायी चाहिये थी। आराजी खसरा नंबर 2912, 2913, 2914 रेस्पोडेन्ट के भाई कमल की खातेदारी की है तथा आराजी खसरा नंबर 2915, 2916 स्वयं रेस्पोडेन्ट बृजमोहन की खातेदारी की आराजीयात है जिसमें होकर रास्ता पूर्व मे मौजूद है, उक्त रास्ते की फोटो भी अपीलांटगण/प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा मे पेश की लेकिन उक्त सभी तथ्यों को अनदेखा करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट के असत्य कथनो के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 22.12.2022 को अपास्त किया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने जिस प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया है उसके अनुसार रास्ता कायम करने की स्थिति में खसरा नंबर 2997, 2998

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मे होकर जाना पड़ेगा। खसरा नंबर 2997, 2998 की कितनी भूमि जावेगी तथा उक्त भूमि के संबंध मे किसी भी प्रकार का आदेश नही होना इस तथ्य को सिद्व करता है कि तहसीलदार व मातहत अदालत ने बिना मौके पर जाये रेस्पोडेन्ट से साझ कर रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपनी रिपोर्ट दे दी स्पष्ट साबित है मातहत अदालत का आदेश मे पारिदर्शिता नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का उक्त निर्णय अपास्त किया जावे।

6. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय उभयपक्ष को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए किया गया है। अपीलांट द्वारा यह अपील रेस्पोडेन्टगण को नाजायज परेशान करने की गरज की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

7. उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया गया।

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2072–2075 वाके ग्राम बामनवास पट्टी कलां तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 2915 रकबा 0.26 है0 2916 रकबा 0.73 है0 बृजमोहन पुत्र धर्मपाल मीना सा. देह खातेदार राहिन स0 मा0 केन्द्रीय सह0 बैंक0 लि0 शाखा बामनवास मुर्तहीन तथा खसरा नंबर 2912 रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 2913 रकबा 0.62 है0, खसरा नंबर 2914 रकबा 0.59 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 कमल पुत्र धर्मपाल जाति मीना सा. देह. खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

251–A Laying of underground pipeline or opening a new way through another Khatedar's holding or enlarging the existing way (1) where-

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holding-

प्रथमः–पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.22 व दिनांक 21.11.22 को जो मातहत अदालत मे पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किये गये। उनके संबंध मे कोई कार्यवाही नही की गई। जो विधि विपरीत है। इस कारण से निर्णय अपास्त योग्य है।

द्वितीयः–मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.21 केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है, तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पर केवल काउन्टर हस्ताक्षर किए गए है। स्वयं तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट मे यह अंकित किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। जबकि पीठासीन अधिकारी के लिये यह आज्ञापक था

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कि या तो वह स्वयं मौका निरीक्षण करे या निरीक्षक भू अभिलेख से नीचे स्तर के कम अधिकारी से निरीक्षण नही कराये तथा प्रभावित पक्षकारों से आपत्तियां आमंत्रित करे। इसी मत का समर्थन दृष्टांत **2019 डी.एन.जे. (रेवेन्यू) पेज 63** मे भी किया गया है। रा. का. अ. नियम (राजस्व मण्डल) 68–70 की पालना किए बगैर ही अदालत मातहत द्वारा जो निर्णय दिनांक 22.12.22 पारित किया है वह विधिक रूप से शून्य होने के कारण अपास्त योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 23/2019 बउनवान बृजमोहन बनाम लैण्ड होल्डर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2022 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.22 व दिनांक 21.11.22 का निस्तारण करते हुए, नियमानुसार मौका रिपोर्ट मंगवाकर, अवलोकन करते हुए तथा उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए उपखण्ड अधिकारी बामनवास जिला सवाई माधोपुर के समक्ष दिनांक 19.07.2023 को उपस्थित हो।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 19.06.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
19.6.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner